

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज)

क्रमांक : 185/25

दिनांक 27.9.15

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री परसराम पुत्र/पुत्री/पति श्री लाराम न प्रार्थन-
 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बमोरा पटवार मण्डल बारई तहसील छबड़ा
 जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 141 में खातेदार/गैरखातेदार का
 नाम/जाति परसराम पुत्र दीता जाति चमारे अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से
 परसराम पुत्र सीताराम जाति बरवा अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी
 से करवाने पर पटवारी ने परसराम पुत्र दीता जाति चमारे के बजाय परसराम पुत्र सीताराम जाति
 करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में परसराम पुत्र दीता जाति च
 के बजाय परसराम पुत्र सीताराम जाति बरवा उचित बताया।
 अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956
 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत
 ग्राम बमोरा के खाता संख्या 141 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति परसराम
 दीता जाति चमारे के स्थान पर सम्मानजनक रूप से परसराम पुत्र सीताराम जाति बरवा का
 आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


 उपखण्ड अधिकारी
 (Land Record Officer)
 छबड़ा जिला बारां
 राजस्थान